समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

खाद्य सुरक्षा वाद संख्या–03 / 2016

झारखण्ड राज्य सरकार

–बनाम्–

मेसर्स रेशम भंडार, प्रो0 रवि जैन

–::आदेश::–

28.07.2017

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अभिहित पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक–129 दिनांक–11.04.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–05.10.2015 को डा0 अजय चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी–सह–खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पेटरवार द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत मेसर्स रेशम भंडार, प्रो0 रवि जैन, पेटरवार(गागी), बाजारटांड़, पेटरवार, बोकारो में खाद्य पदार्थों की जाँच की गई । जाँच के क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा 4 कि0ग्रा0 आयोडाइज्ड प्राईम साल्ट (सिल्ड पैकेट) क्रय कर संग्रह करते हुए जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक को भेजा गया। उक्त आयोडाइज्ड प्राईम साल्ट के जाँचोपरान्त खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भेजे गए नमक का नमूना Sub Standard है। जिसके आधार पर अभिहित पदाधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26, 27, 40 एवं धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी मेसर्स रेशम भंडार, प्रो0 रवि जैन के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को राज्य सरकार की ओर से विज्ञ अपर लोक अभियोजक, बोकारो को सुना गया। विपक्षी वाद के सुनवाई के दौरान लागातार अनुपस्थित रहे है।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ अपर लोक अभियोजक, बोकारो द्वारा दलील दी गई कि प्रश्नगत खाद्य पदार्थ जो कि Sub Standard है, को खरीदना एवं बेचना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उसके बाबजूद भी विक्रेता द्वारा वैसे Sub Standard नमक की गुणवत्ता जाने बिना बेचना अधिक मुनाफा कमाने की मशा को दर्शाता है।

विपक्षी का लगातार वाद के सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहना उनके इस वाद में रूची के अभाव को दर्शाता है। इससे स्पष्ट है कि उन्हे अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

वर्णित परिस्थिति में विज्ञ अपर लोक अभियोजक की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत नमक Sub Standard है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस Sub Standard नमक का उपयोग भोजन सामग्री बनाने में नहीं किया जाता होगा। यदि ऐसे मानकता से नीचे वाले खाद्य पदार्थ बाजार में बेचा जाता है तो यह आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए विपक्षी पर लगाया गया आरोप सही है और दण्डनीय है। अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी के द्वारा जान–बूझ कर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। चूँकि यह विपक्षी के विरुद्ध इस न्यायालय में पहला मामला है और प्रथम पक्ष द्वारा अब तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसे प्रमाणित हो कि विपक्षी द्वारा इस गलती को पुनः दोहराया गया हो अथवा किसी ग्राहक को इस Sub Standard नमक से नुकसान पहुँचा हो।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा–51 "**Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakhs rupees.**" के तहत विपक्षी मेसर्स रेशम भंडार, प्रो0 रवि जैन पर रू0 50000.00 (पचास हजार) मात्र जुर्माना किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का क्रॉस डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में जमा करना सुनिश्चित करें । भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दी जाती है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुपालन कराने हेतु आवंटित पदाधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 28/7/17
एडजूडिकेटिंग पदाधिकारी
–सह–
जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

(हस्ताक्षर) 28/7/17
एडजूडिकेटिंग पदाधिकारी
–सह–
जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

C. C. Issued Vide No. 5445 Dated 30/8/17

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.24 17:25:46 +05:30
Location: 192.168.1.107